I

105

(62)

11265
28-7-2012

## हिमाचल प्रदेश सरकार
## आयुर्वेद विभाग

संख्याः आयु0–क–(3)–2/92    तारीख शिमला–2,    16 जुलाई, 2012.

## अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में प्रयोगशाला सहायक (अनुसंधान), वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से सलंग्न उपाबन्ध–"क" के अनुसार, भर्ती और प्रोन्नति नियम, बनाती हैं, अर्थात् :–

**संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।** 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, प्रयोगशाला सहायक (अनुसंधान), वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

Addl. Dir
Supdt. E II
27/7/12

**निरसन और व्यावृत्तियां** 2 (1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या आयु–क (3)–2/92 तारीख 31.01.1998 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग प्रयोगशाला सहायक (अनुसंधान) वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

Sent Mails
28/07/12

आदेश द्वारा,

सचिव (आयुर्वेद)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

–पृष्ठ–2–

पृष्ठ–2–

पृष्ठांकन सं0: यथोपरि। तारीख शिमला–2, 16 जुलाई, 2012

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002।
2. निदेशक (आयुर्वेद) हिमाचल प्रदेश शिमला–171009।
3. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग,निगम विहार शिमला–171002 को उनके पत्र सं0 1–2/78–पीएससी–पार्ट दिनांक 4.4.2012 के सन्दर्भ में तीन प्रतियों सहित।
4. नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171005 को राजपत्र में प्रकाशन के लिए।
5. सहायक विधि परामर्शी एवम् अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002.
6. गार्ड नस्ति–100 प्रतियां ।

अवर सचिव(आयुर्वेद)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

–: 0 :–

उपाबन्ध–"क"

**आयुर्वेद विभाग, हिमाचल प्रदेश में प्रयोगशाला सहायक (अनुसंधान) वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पदनाम | प्रयोगशाला सहायक (अनुसंधान) |
| 2 | पदों की संख्या | 02 ( दो) |
| 3 | वर्गीकरण | वर्ग –III (अराजपत्रित) |
| 4 | वेतनमान | **नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान:–**<br>**पे बैण्ड**–5910–20200 रुपए जमा 1900 रुपए ग्रेड पे।<br>**संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां :–**<br>7810 / रुपए प्रति मास स्तम्भ सख्या: 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार। |
| 5 | "चयन" पद अथवा "अचयन" पद | लागू नहीं। |
| 6 | सीधी भर्ती के लिए आयु | 18 से 45 वर्ष : |

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो, वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और ऐसे पब्लिक सैक्टर, नियमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

| | | |
|---|---|---|
| 7 | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं: | (क) <u>अनिवार्य अर्हतां (ए):</u><br>(1)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रुप से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से फार्मेसी में स्नातक की उपाधि/रसायन एक विषय सहित विज्ञान में स्नातक की उपाधि या इसके समतुल्य।<br>(ख) <u>वॉछनीय अर्हता :</u><br>हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता। |
| 8 | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हतांए, प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं : | **आयुः** लागू नहीं।<br>**शैक्षिक अर्हतां** : लागू नहीं। |
| 9 | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो : | दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें। |
| 10 | भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी : प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता : | शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में यथा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे। |
| 11 | प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में (ग्रेड) [illegible] जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा: | – [illegible]। |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति, विद्यमान हो तो उसकी संरचना : | लागू नहीं। |
| 13 | भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : | जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो। |
| 14 | सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा : | किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। |
| 15 | सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन : | सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग अथवा अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि, यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा। |
| 15 (क) | संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन: | इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तो के अध्यधीन की जाएंगी :–<br>1 <u>संकल्पना :</u><br>(क) इस पालिसी के अधीन आयुर्वेद विभाग में प्रयोगशाला सहायक (अनुसंधान) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार बढ़ाया जा सकेगा: परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/ विस्तारित की जाएगी। |

| | | |
|---|---|---|
| | | **ख) <u>पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना:</u>**<br><br>निर्देशक आयुर्वेद हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, अध्यपेक्षा को सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाए चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।<br><br>(ग) चयन इन नियमों मे विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा।<br><br>(II). **<u>संविदात्मक उपलब्धियां:-</u>**<br><br>संविदा के आधार पर नियुक्त प्रयोगशाला सहायक (अनुसंधान) को 7,810/- रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे.बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षो के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 240/-रूपए की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतन जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्वि के रुप मे अनुज्ञात की जाएगी।<br><br>(III) **<u>नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी:</u>**<br><br>निदेशक, आयुर्वेद हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।<br><br>(IV) **<u>चयन प्रकिया:</u>**<br><br>संविदा नियुक्त की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यकम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।<br><br>(V) **<u>संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति:</u>**<br><br>जैसा सम्वद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-2 पर गठित की जाए।<br><br>(VI) **<u>करार :</u>**<br><br>अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से सलंग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा। |

| | | |
|---|---|---|
| | | **(VII) निबन्धन और शर्तें:**<br><br>(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 7,810/–रूपए की नियम संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतन जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्ष /वर्षो के लिए संविदात्मक रकम मे 240/–रुपए की रकम (पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।<br><br>(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण संतोषजनक नहीं पाया जात है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।<br><br>(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल० टी० सी० इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।<br><br>(घ) नियंन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन )हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (डयूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।<br><br>(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पॉच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहॉ भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।<br><br>(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक ,अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यथियों को किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा । |

| | | |
|---|---|---|
| | | (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के संम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।<br>(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ. आर. एस. आर., छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेशंन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। |
| 16 | आरक्षणः | सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों /अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी । |
| 17 | विभागीय परीक्षाः | लागू नहीं। |
| 18 | शिथिल करने की शक्तिः | जहॉ राज्य सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहॉ वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बावत शिथिल कर सकेगी । |

उपाबन्ध–"ख"

**प्रयोगशाला सहायक (अनुसंधान) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, आयुर्वेद के माध्यम से, निष्पादित की जाने वाली संविदा /करार का प्ररूप ।**

यह करार श्री/श्रीमति......................................................पुत्र/पुत्री श्री .............. ..............................निवासी..................... .............................................................................. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है ) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य निदेशक, आयुर्वेद,(जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है), के माध्यम से आज तारीख ......................................को किया गया।

"**द्वितीय पक्षकार**" ने उपरोक्त "**प्रथम पक्षकार**" को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने प्रयोगशाला सहायक (अनुसंधान) के रूप मे संविदा के आधार पर निम्नलिखित निम्बन्धन व शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :–

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्रयोगशाला सहायक (अनुसंधान) के रूप में ............................ ..........से आरम्भ होने और......................................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्....................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहे है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 7810/–रूपए प्रतिमास होगी।

3 प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवासित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4 संविदा पर नियुक्त प्रयोगशाला सहायक अनुसंधान एक मास की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त प्रयोगशाला सहायक (अनुसंधान) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञेय नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल. टी. सी. इत्यादि के लिए अनुज्ञेय नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त प्रयोगशाला सहायक (अनुसंधान) कर्त्तव्य (डयूटि) अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7 चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के संम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

**साक्षियों की उपस्थिति में :**

1.............................................................

.............................................................

(नाम व पूरा पता )

2.............................................................

.............................................................

(नाम व पूरा पता )

**(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)**

**साक्षियों की उपस्थिति में :**

1.............................................................

.............................................................

.............................................................

(नाम व पूरा पता )

2.............................................................

.............................................................

.............................................................

(नाम व पूरा पता )

**(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)**

Annexure-B

**Form of contract/agreement to be executed between the Laboratory Assistant (Research) and the Government of Himachal Pradesh through the Director Ayurveda.**

This agreement is made on this -----------day of ------------------ in the year------------------between Shri/Smt. ------------------------R/O--------------------------------------------------------------contract appointee (hereinafter called the First Party) AND the Governor, Himachal Pradesh through Director Ayurveda, Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Laboratory Assistant (Research) on contract basis on the following terms & conditions :-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Laboratory Assistant (Research) for a period of one year commencing on ---------------------day of -----------------and ending on the ----------------day of ----------------------. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY shall post-ipose facto stand terminated on the last working day i.e. on ______________ and information notice shall not be necessary.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ₹. 7810/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Laboratory Assistant (Research) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Laboratory Assistant (Research) He/ She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Laboratory Assistant (Research) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from the Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Govt. authorized / registered Medical Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled for TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duty at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY HAVE HEREIN TO SET THEIR HANDS THE DAY, MONTH AND YEAR FIRST, ABOVE WRITTEN.

IN THE PRESENCE OF WITNESS

01. ------------------------------
------------------------------
------------------------------

(Name and full address)
(Signature of first party).

02. ------------------------------
------------------------------
------------------------------

(Signature of first party).

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ------------------------------
------------------------------
------------------------------

(Name and full address)
(Signature of Second party)

2. ------------------------------
------------------------------
------------------------------

(Signature of Second party)

राकेश